

## कार्यालय आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान-उदयपुर

क्रमांक :- एफ 1 (1) लेखा/स्टोर/देव/2016/4828

दिनांक:- 16.3.16

### सीमित बोली सूचना

कार्यालय आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर में स्थापित कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं फोटो कॉपी मशीनों के वार्षिक अनुरक्षण एवं मरम्मत की संविदा किये जाने हेतु विनिर्माताओं/प्राधिकृत डीलर्स/सद्भावी डीलर्स से निर्धारित बिड प्रपत्र पर में दिनांक 28.03.16 अपराह्न 3.00 बजे तक सीमित बोलियां आमन्त्रित की जाती है। प्राप्त बोलियों को दिनांक 29.03.16 पूर्वान्ह 11.00 बजे उपस्थित बोलीदाता यदि कोई हो, के समक्ष खोली जाएगी।

क्र.स	कार्य का विवरण	अनुमानित मात्रा/लागत	बोली प्रपत्र शुल्क
1	कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं फोटो कॉपी मशीन के वार्षिक अनुरक्षण एवं मरम्मत की संविदा मय पार्ट्स	राशि रूपये 1.00 लाख रूपये	200/-

1. Annexure-A में वर्णित कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं फोटो कॉपीयर मशीनों की मरम्मत एवं वार्षिक अनुरक्षण का कार्य कराया जाना है। वर्ष में चार बार समस्त उपकरणों की सर्विसिंग करना आवश्यक होगा। इसके अलावा जब भी कोई मशीन खराब होती है तो दूरभाष अथवा मेल पर सूचना प्राप्त होते ही मरम्मत का कार्य 24 घण्टे में ही पूर्ण कराना होगा अन्यथा समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति की राशि वसूल की जाएगी। आवश्यकतानुसार पार्ट्स ठेकेदार को स्वयं के खर्च पर बदलने होंगे। पुराना पार्ट कार्यालय में जमा करवाना होगा।
2. बिड प्रपत्र, बिड सूचना से संबंधित नियम, शर्तें संबंधी दस्तावेज निर्धारित शुल्क पर आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में दिनांक 28.03.16 अपराह्न 1.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। या वेब साईट [www.devasthan.rajasthan.gov.in](http://www.devasthan.rajasthan.gov.in) व राजस्थान लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.raj.nic.in> से भी डाउन लोड किया जा सकता है। बिड निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। डाउन लोड करने की स्थिति में निविदा शुल्क रु. 200/- निविदा प्रस्तुत करते समय जमा कराने होंगे।
3. बिड सीलबन्ध लिफाफे में, जिसके उपर बीड का विवरण अंकित हो, आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर के कार्यालय में निर्धारित दिन एवं समय तक डाक द्वारा या व्यक्तिशः पहुंच जानी चाहिये। प्राप्त बिडों को दिनांक 29.03.16 को 11.00 बजे बिडदाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष विभागीय क्रय समिति द्वारा खोली जावेगी।
4. बिड प्रतिभूति राशि रु. 2000/- का आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर के नाम बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या ..... जो..... (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है। चालान संख्या..... दिनांक..... बोली प्रतिभूति राशि के पेटे संलग्न करना होगा।
5. सफल निविदाकार को अनुमोदित राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/केश रसीद प्रस्तुत कर राशि रूपये 500/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध सम्पादित करना होगा। बिड प्रतिभूति के रूप में जमा राशि का समायोजन कार्य सम्पादन प्रतिभूति के विरुद्ध किया जा सकेगा।
6. बीड के साथ बिक्री कर वेट पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ वेट चुकता प्रमाण पत्र तथा आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नं. की प्रमाणित प्रति तथा बैंक पास बुक की प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है अन्यथा बिड पर विचार नहीं किया जावेगा।
7. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त बिड स्वीकार नहीं की जावेगी।

8. विभागीय क्रय समिति न्यूनतम दर वाली बोली को स्वीकार किये जाने के लिए बाध्य नहीं है तथ यह किसी भी बिड को या उसके किसी भी भाग को कोई कारण बताये बिना रद्द कर सकेगी।
9. बिड में आमन्त्रित दरें अनुमोदित किये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। दरों को आपसी सहमति से साथ तीन माह के लिये अधिकतम बढ़ाई जा सकेगी।
10. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम लागू होंगे। इसके साथ ही राज्य में दिनांक 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 प्रभावशील है जो उक्त बिड पर प्रभावशील है।
11. जिन सामान की कीमत पर वेट/सर्विस टेक्स अलग से देय है उसका स्पष्ट उल्लेख दरों में किया जावे। जिस सामान की दरे वेट /सर्विस टेक्स सहित है उसका स्पष्ट उल्लेख दरों के साथ किया जावे।
12. आदेश दिये जाने के समय से 24 घण्टे की अवधि के भीतर फर्म द्वारा वांछित मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य पूर्ण करना होगा। आदेश दूरभाष अथवा मेल से दिया जा सकेगा।
13. मूल दरें, वेट का प्रतिशत तथा कुल मूल्य पृथक पृथक देनी होगी। यदि फर्म सेवाकर के दायरे में आती है तो फर्म को सेवाकर स्वयं के स्तर से संबंधित विभाग में जमा कराना होगा तथा मांगने पर चालान की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
14. बिल में वेट राशि पृथक से दर्शानी होगी तथा वेट राशि का भुगतान वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 21-4-10 के अनुसार फर्म को नहीं किया जाकर सीधे राज्य कोष में जमा कराया जावेगा। कटौती का प्रमाण पत्र वेट-41 ए बिडदाता को उपलब्ध कराया जावेगा।
15. बिड की दरे स्पष्ट रूप से अंकित की जावें, कटिंग नहीं करें। अगर कोई कटिंग है तो पूर्ण हस्ताक्षर करके प्रमाणित करें।
16. बिड प्रपत्र में अंकित शर्तों के अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई शर्त अंकित न की जावें। सशर्त बिड स्वीकार नहीं की जावेगी।
17. कार्य की लागत अनुमानित है। अनुबन्ध अवधि के दौरान कार्य की मात्रा कम /अधिक हो सकती है। जो लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के उप नियम 73 के अनुसरण में निम्नानुसार होगी:-
  - (1) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु प्राप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उप्राप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
  - (2) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिये पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमन्त्रित करने के पश्चात दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमायें निम्नलिखित होंगी :-

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत और

(ख) मूल संविदा के मूल्य या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।

18. राज, लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के उप नियम-29 (ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड अध्याधीन होगी। कीमत गिरने का खण्ड दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यह उपबन्ध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी सी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा से कम कीमत पर सेवायें देने के लिये उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुये पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए 2 दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए 2 दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कर करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर

दर संविदाधारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और सव्यवहार नहीं किया जायेगा।

- 19 विशेष परिस्थितियों में राज, लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम 74 के अनुसार कार्य Fair, Transparen't & equitable manner से विभाजित किया जा सकेगा।
- 20 बोली दस्तावेजों में परिवर्तन - बोली प्रस्तुत करने के लिये अन्तिम समय-सीमा से पूर्व किसी भी समय, उपापन संस्था किसी कारण से चाहें स्वप्रेरणा पर या बोली लगाने वाले के द्वारा स्पष्टीकरण के लिये किसी अनुरोध के परिणाम स्वरूप, धारा 23 के उपबन्धों के अनुसार युक्तिका जारी करके बोली दस्तावेजों को उपान्तरित कर सकेगी।

(अशोक यादव)

आयुक्त

देवस्थान विभाग

राजस्थान उदयपुर

दिनांक:- 16/3/16

क्रमांक :- एफ 1 (1) लेखा/स्टोर/देव/2016/ 4829-38

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. वित्तीय सलाहकार देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
2. उपायुक्त/सहायक आयुक्त (मु.) प्रधान कार्यालय को दी जाकर लेख है कि नियत तिथि पर निविदा कार्य हेतु उपस्थित रहे।
3. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर को दी जाकर लेख है कि नियत तिथि पर निविदा कार्य हेतु उपस्थित रहे।
4. सहायक लेखाधिकारी प्रथम, प्रधान कार्यालय को दी जाकर लेख है कि नियत तिथि पर निविदा कार्य हेतु उपस्थित रहे।
5. मैसर्स .....
6. प्रभाषी कम्प्यूटर सेल को भेजकर लेख है कि उक्त सीमित निविदा को आज ही विभाग की वेब साईट [www.devasthan.rajasthan.gov.in](http://www.devasthan.rajasthan.gov.in) व राजस्थान लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.raj.nic.in> पर अपलोड कर एवं तत्सम्बन्धी विवरण की प्रति लेखा अनुभाग को उपलब्ध करावें।
7. नोटिस बोर्ड कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर।
8. नोटिस बोर्ड कार्यालय जिला कलक्टर उदयपुर।
9. नोटिस बोर्ड कार्यालय आयुक्त देवस्थान उदयपुर।
10. नोटिस बोर्ड कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान उदयपुर।

(अशोक यादव) 16

आयुक्त

देवस्थान विभाग

राजस्थान उदयपुर

## बिड प्रपत्र

बिड विक्रय करने की अंतिम तिथि 28.03.16 अपरान्ह 1.00 बजे तक

बिड जमा कराने की अंतिम तिथि 28.03.16 अपरान्ह 3.00 बजे तक

बिड खोलने की अंतिम तिथि 29.03.16 पूर्वान्ह 11.00 बजे

अनुमानित लागत :- 1 लाख रुपये ।

### राजस्थान सरकार

## कार्यालय आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान-उदयपुर

1. कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं फोटो कॉपी मशीन के वार्षिक अनुरक्षण एवं मरम्मत की संविदा मय पार्टस ।
2. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, डाक का पता, व मोबाइल नम्बर  
.....  
.....
3. किसको सम्बोधित किया गया - आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान, उदयपुर।
4. सन्दर्भ :- एफ 1 (1) लेखा/स्टोर/देव/2016 ..... दिनांक .....
5. बिड शुल्क 200/- रुपये नकद रसीद संख्या ..... एवं दिनांक ..... के द्वारा जमा करवा दी गई है।
6. कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं फोटो कॉपी मशीन के वार्षिक अनुरक्षण एवं मरम्मत की संविदा मय पार्टस की दरें Annexure-A में प्रस्तुत है।
7. बिड प्रतिभूति राशि रु. 2000/- का आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर के नाम बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या ..... जो ..... (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है। चालान संख्या ..... दिनांक ..... बोली प्रतिभूति राशि के पेटे संलग्न है।
8. सफल निविदाकार को अनुमोदित राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/केश रसीद प्रस्तुत कर राशि रुपये 500/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध सम्पादित करना होगा। बिड प्रतिभूति के रूप में जमा राशि का समायोजन कार्य सम्पादन प्रतिभूति के विरुद्ध किया जा सकेगा।
9. Annexure-A में वर्णित कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं फोटो कॉपीयर मशीनों की मरम्मत एवं वार्षिक अनुरक्षण का कार्य कराया जाना है। वर्ष में चार बार समस्त उपकरणों की सर्विसिंग करना आवश्यक होगा। इसके अलावा जब भी कोई मशीन खराब होती है तो दूरभाष अथवा मेल पर सूचना प्राप्त होते ही मरम्मत का कार्य 24 घण्टे में ही पूर्ण कराना होगा अन्यथा समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति की राशि वसूल की जाएगी।
10. बिड में आमंत्रित दरे अनुमोदित किये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। दरों का आपसी सहमति से अधिकतम तीन माह के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

11. हम आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर द्वारा जारी की गई उक्त संदर्भित बिड सूचना में वर्णित सभी शर्तों से एवं संलग्न प्रपत्रों में दी गई उक्त बिड सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
12. बिड के साथ बिक्री कर/वैट पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नम्बर की प्रमाणित प्रति, बैंक पास बुक की प्रति एवं बिक्री कर/वैट चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है।
13. मूल दरें, वैट का प्रतिशत तथा कुल मूल्य पृथक पृथक देनी होगी। यदि फर्म सेवाकर के दायरे में आती है तो फर्म को सेवाकर स्वयं के स्तर से संबंधित विभाग में जमा कराना होगा तथा मांगने पर चालान की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
14. बिल में वैट राशि पृथक से दर्शानी होगी तथा वैट राशि का भुगतान वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 21-4-10 के अनुसार फर्म को नहीं किया जाकर सीधे राज्य कोष में जमा कराया जावेगा। कटौती का प्रमाण पत्र वैट-41 ए बिडदाता को उपलब्ध कराया जावेगा।
15. आदेश दिये जाने के समय से 24 घण्टे की अवधि के भीतर फर्म द्वारा वांछित मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य पूर्ण करना होगा। आदेश दूरभाष अथवा मेल से दिया जा सकेगा।
16. बिड की दर स्पष्ट रूप से अंकित की जावे, कटिंग नहीं करें। अगर कोई कटिंग है तो पूर्ण हस्ताक्षर करके प्रमाणित करें।
17. बिड प्रपत्र में अंकित शर्तों के अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई शर्त अंकित न की जावे। सशर्त बिड स्वीकार नहीं की जावेगी।
18. कार्य की लागत अनुमानित है। अनुबन्ध अवधि के दौरान कार्य की मात्रा कम /अधिक हो सकती है। जो लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के उप नियम 73 के अनुसरण में निम्नानुसार होगी:-
  1. यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उप्राप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उप्राप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
  2. अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिये पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमन्त्रित करने के पश्चात दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमायें निम्नलिखित होंगी :-
    - (क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत और
    - (ख) मूल संविदा के मूल्य या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।
19. राज, लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के उप नियम-29 (ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड अध्याधीन होगी। कीमत गिरने का खण्ड दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यह उपबन्ध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी सी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा से कम कीमत पर सेवायें देने के लिये उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुये पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए 2 दिन का समय दिया जायेगा। इसी

प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए 2 दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदाधारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और सव्यवहार नहीं किया जायेगा।

20. विशेष परिस्थितियों में राज, लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम 74 के अनुसार कार्य Fair, Transparen't & equitable manner से विभाजित किया जा सकेगा।
21. बोली दस्तावेजों में परिवर्तन – बोली प्रस्तुत करने के लिये अन्तिम समय-सीमा से पूर्व किसी भी समय, उपापन संस्था किसी कारण से चाहें स्वप्रेरणा पर या बोली लगाने वाले के द्वारा स्पष्टीकरण के लिये किसी अनुरोध के परिणाम स्वरूप, धारा 23 के उपबन्धों के अनुसार युक्तिका जारी करके बोली दस्तावेजों को उपान्तरित कर सकेगी।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय सील

1. बिड दाता का नाम - .....
2. डाक का पता.....
3. टेलीफोन नं. (दुकान) ..... (मोबाइल नं.).....उदयपुर
4. ई-मेल आई डी. ....

दिनांक

बिडदाता के हस्ताक्षर मय सील

## कार्यालय आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान-उदयपुर

कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं फोटोकॉपी मशीनों के वार्षिक अनुरक्षण एवं मरम्मत की निविदा की शर्तें

1. Annexure-A में वर्णित कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं फोटो कॉपीयर मशीनों की मरम्मत एवं वार्षिक अनुरक्षण का कार्य कराया जाना है। अतः अपनी दरे संलग्न Annexure-A में प्रस्तुत करें। जब भी कोई मशीन खराब होती है तो दूरभाष अथवा मेल पर सूचना प्राप्त होते ही मरम्मत का कार्य 24 घण्टे में ही पूर्ण कराना होगा अन्यथा समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति की राशि वसूल की जाएगी।
2. बिड में आमंत्रित दरे अनुमोदित किये जाने की दिनांक से 31.03.2017 तक के लिए मान्य होगी। दरों का आपसी सहमति से अधिकतम तीन माह के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. हम आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर द्वारा जारी की गई उक्त संदर्भित बिड सूचना में वर्णित सभी शर्तों से एवं संलग्न प्रपत्रों में दी गई उक्त बिड सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
4. बिड के साथ बिक्री कर/वैट पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नम्बर की प्रमाणित प्रति, बैंक पास बुक की प्रति एवं बिक्री कर/वैट चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है।
5. मूल दरें, वैट का प्रतिशत तथा कुल मूल्य पृथक पृथक देनी होगी। यदि फर्म सेवाकर के दायरे में आती है तो फर्म को सेवाकर स्वयं के स्तर से संबंधित विभाग में जमा कराना होगा तथा मांगने पर चालान की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिल में वैट राशि पृथक से दर्शानी होगी तथा वैट राशि का भुगतान वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 21-4-10 के अनुसार फर्म को नहीं किया जाकर सीधे राज्य कोष में जमा कराया जावेगा। कटौती का प्रमाण पत्र वैट-41 ए बिडदाता को उपलब्ध कराया जावेगा।
7. आदेश दिये जाने के समय से 24 घण्टे की अवधि के भीतर फर्म द्वारा वांछित मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य पूर्ण करना होगा। आदेश दूरभाष अथवा मेल से दिया जा सकेगा।
8. बिड की दरे स्पष्ट रूप से अंकित की जावें, कटिंग नहीं करें। अगर कोई कटिंग है तो पूर्ण हस्ताक्षर करके प्रमाणित करें।
9. बिड प्रपत्र में अंकित शर्तों के अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई शर्त अंकित न की जावें। सशर्त बिड स्वीकार नहीं की जावेगी।
10. कार्य की लागत अनुमानित है। अनुबन्ध अवधि के दौरान कार्य की मात्रा कम /अधिक हो सकती है। जो लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के उप नियम 73 के अनुसरण में निम्नानुसार होगी:-
11. यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उप्राप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उप्राप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
12. अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिये पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमन्त्रित करने के पश्चात दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की

कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमायें निम्नलिखित होंगी :-

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत और

(ख) मूल संविदा के मूल्य या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।

13. राज, लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के उप नियम-29 (ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड अध्याधीन होगी। कीमत गिरने का खण्ड दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यह उपबन्ध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा से कम कीमत पर सेवायें देने के लिये उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुये पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए 2 दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए 2 दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदाधारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और सव्यवहार नहीं किया जायेगा।
14. विशेष परिस्थितियों में राज, लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम 74 के अनुसार कार्य Fair, Transparen't & equitable manner से विभाजित किया जा सकेगा।
15. बोली दस्तावेजों में परिवर्तन - बोली प्रस्तुत करने के लिये अन्तिम समय-सीमा से पूर्व किसी भी समय, उपापन संस्था किसी कारण से चाहें स्वप्रेरणा पर या बोली लगाने वाले के द्वारा स्पष्टीकरण के लिये किसी अनुरोध के परिणाम स्वरूप, धारा 23 के उपबन्धों के अनुसार युक्तिका जारी करके बोली दस्तावेजों को उपान्तरित कर सकेगी।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय सील

बिड दाता का नाम -.....

डाक का पता.....

टेलीफोन नं. (दुकान) ..... (मोबाइल नं.)..... उदयपुर

ई-मेल आई डी. ....

दिनांक



## कार्यालय आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर

कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं फोटो-कॉपी मशीन के वार्षिक अनुरक्षण एवं मरम्मत की संविदा मय पार्टस हेतु मशीनों का विवरण एवं मरम्मत दरें (Annexure -A)

क्र.सं.	पार्ट-1 मशीनों का विवरण	मात्रा
1-	Photo copier Cannon -IR 2318 L	2
2-	Cannon Printer 1007 P	4
3-	HP Laser Jet	6
4-	HP MFP Hot Spot M 1218	5
5-	Computer HCL	5
6-	HP	6
7-	UPS HP	4
8-	UPS lball	2
9-	UPS Microtek	5

### पार्ट-2 दरों का विवरण

क्र.सं.	कार्य का विवरण	यूनिट	दर रूपये में	वेट/सेवा कर प्रतिशत में	कुल दर रूपये में
1	कार्टेज रिफिलिंग HP 36x12	प्रति नग			
2	कम्प्यूटर ड्रम बदलना	प्रति नग			
3	क्लीनिंग ब्लेड	प्रति नग			
4	साफ्टवेयर स्थापित करना	प्रति नग			
5	कम्प्यूटर सर्विसिंग	प्रति नग			
6	वायरस रिमोविंग	प्रति नग			
7	की बोर्ड माउस	प्रति नग			
8	पावर केबल	प्रति नग			
9	क्वीक हील एन्टीवायरस	प्रति नग			
10	केनन एन पी जी 28 टोनर	प्रति नग			
11	वायपर ब्लेड	प्रति नग			
12	सी.पी.यू फेन	प्रति नग			
13	टेफ्लोन	प्रति नग			
14	एम एम पी एस	प्रति नग			
15	पी सी आर	प्रति नग			
16	मेगनेट	प्रति नग			
17	केनन आई आर 2318 पावर सप्लाय	प्रति नग			
18	फोटो कॉपी ड्रम	प्रति नग			
19	ई0सी0आर0	प्रति नग			
20	क्लीनिंग ब्लेड	प्रति नग			
21	फिक्सींग फिल्म	प्रति नग			
22	पिकप	प्रति नग			
23	सर्विस चार्ज केनन	प्रति नग			
24	की बोर्ड	प्रति नग			
25	प्रिन्टर सर्विस चार्ज	प्रति नग			
26	मदर बोर्ड रिपेयरिंग	प्रति नग			
27	प्रिन्टर प्रेशर रोलर	प्रति नग			

बिड़दाता का नाम एवं डाक का पता मय टेलीफोन नम्बर

.....  
 .....  
 .....

बिड़दाता के हस्ताक्षर मय सील